

न्यायालय सहायक कलक्टर, (FAST TRACK) बाड़मेर
नाम पीठासीन अधिकारी :- श्री यशार्थ शेखर आई.ए.एस.

वादीनी
1. धुड़ी देवी पत्नी लिखमाराम
जाति मेघवाल निवासी सेजुओं
की ढाणी, विशाला आगौर
तहसील व जिला बाड़मेर

बनाम

प्रतिवादीगण
1 किशना पुत्र गांगन 2 गुलाब 3 चम्पा पिसरान
पर्वता 4 मूमल पत्नी पर्वता जातियान मेघवाल
निवासी सेजुओं की ढाणी, विशाला आगौर तहसील
व जिला बाड़मेर 5 तहसीलदार बाड़मेर

दावा बाबत 53 एवं 188 रा.का.अ.
मुकदमा नम्बर :- 103/2024
निर्णय दिनांक :- 13.10.2025

वकील वादी व वकील प्रतिवादी संख्या 1 से 4. की उपस्थिति में इस वाद में आज तारीख 13.10.2025 को श्रीमती यशार्थ शेखर, सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक) बाड़मेर के समक्ष अन्तिम निपटारे के लिए पेश होने पर, आदेश किया जाता है और अंतिम डिक्री निम्न प्रकार दी जाती है कि:-

वकील वादी एवं वकील प्रतिवादी पक्ष की उपस्थिति में इस वाद में आज तारीख 13.10.2025 को श्री यशार्थ शेखर (फास्ट ट्रेक) बाड़मेर के समक्ष अन्तिम निपटारे के लिए पेश होने पर, आदेश किया जाता है और अन्तिम डिक्री निम्नप्रकार दी जाती है कि :-

तहसीलदार बाड़मेर से प्राप्त विभाजन प्रस्ताव के आधार पर वाद पत्र स्वीकार किया जाकर मौजा सेजुओं की ढाणी पटवार क्षेत्र विशाला आगौर तहसील व जिला बाड़मेर के खसरा संख्या 183 रकबा 5. 4309 हैक्टेयर भूमि का खातेदारान के मध्य निम्न प्रकार विभाजन कर लगान का निर्धारण किये जाने के आदेश दिये जाते हैं :-

क्र. सं.	नाम खातेदारान	खसरा नम्बर	रकबा (हैक्टेयर)	किस्म	लगान	बरंग
1	धुड़ीदेवी पत्नी लिखमाराम जाति मेघवाल सा. देह खातेदार	183	4.0732	बा.सो.	1.26	हरा
2	किशना पुत्र गांगन हिस्सा 1/2 कौम मेघवाल सा. देह खातेदार गुलाब पुत्र पर्वता हिस्सा 1/6 कौम मेघवाल सा. देह खातेदार चम्पा पुत्र पर्वता हिस्सा 1/6 कौम मेघवाल सा. देह खातेदार मूमल पत्नी पर्वता हिस्सा 1/6 कौम मेघवाल सा. देह खातेदार	183	1.3577	बा.सो.	0.42	गुलाबी

तहसीलदार बाड़मेर तदनुसार राजस्व अभिलेख में अमल दरामद करावें। नक्शा में तरमीम करावें।

विभाजन प्रस्ताव के संलग्न नक्शा निर्णय का अभिन्न अंग रहेगा।

यह अंतिम डिक्री आज तारीख 13.10.2025 को मेरे हस्ताक्षर से और न्यायालय की मुद्रा लगाकर दी गई।

(यशार्थ शेखर)
पीठासीन अधिकारी
सहायक कलक्टर,
(फास्ट ट्रेक), बाड़मेर

वाद के खर्चे

वादी	प्रतिवादी
1 वाद पत्र के लिए स्टाम्प	रूपया
2 शक्ति पत्र के लिए स्टाम्प	रूपया
3 प्रदर्शों के लिए स्टाम्प	रूपया
4 रूपये पर प्लीडर की फीस	रूपया
5 साक्षियों के लिए निर्वाह-व्यय	रूपया
6 कमिश्नर की फीस	रूपया
7 आदेशिका की तामिल	रूपया
जोड़	जोड़